न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 54/18 GCMS NO 2018/00210

1. बातूली पत्नि फकीरा (मृतक) (हजफ)
2. होशियार पुत्र फकीरा
3. जमील पुत्र फकीरा
4. जब्बार पुत्र फकीरा (मृतक) (हजफ)
5. सईद खां पुत्र जंहागीर
6. बुद्दि खां पुत्र जांहगीर
7. असगर पुत्र जांहगीर जातियान गददी मुसलमान निवासीयान पीलोदा तहसील वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर
2. अली खां पुत्र गुलाब खां जाति मुसलमान गददी निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 182/08 निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.18 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री जे0के0गर्ग

अभिभाषक रैस्पो0 श्री भानु कुमार सिंहल

दिनांक 4.11.2024

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.18 न्यायालय सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांट द्वारा एक वाद पत्र इस्तकरार हक खातेदारी टीनेन्सी,हुक्म इम्तनाई दवामी एवं इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि ग्राम पीलोदा मे हाल सेटलमेंट हुआ जिसमे वादीगण की साबिक भूमि ख0न0 1846 वादीगण की साबिक खातेदारी भूमि का कायम किया। जिसका रकबा 0.17 है0 है वादीगण को सेंटलमेंट विभाग ने जो पर्चा जारी किया उसमे भी उक्त भूमि ख0न0 1846 रकबा 0.17 है0 का जारी किया मौके पर भी इस नबंर पर इतने ही रकबे पर वादीगण का कब्जा पाया और इस कब्जे के अनुसार ही वादीगण को इस भूमि का पर्चा जारी किया गया। इस भूमि का लगान भी वादीगण द्वारा सम्वत 2039 से पर्चा लगान अदा करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का साबिक ख0न0 1655 था जिसका पूर्व के नक्शे मे रकबा 0.17 है0 था अब जो सेटलमेंट का नक्शा बना है उसमे भी उतनी ही रकबा है सेटलमेंट ने गलती से ख0न0 1846 रकबा 0.17 है0 के स्थान पर 0.02 है0 रख दिया। बाकी रकबा 0.15 है0 सिवायचक कर दिया जिसका ख0न0 1846/5947 बना दिया। इस प्रकार का परिवर्तन करने का सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही है। सेटलमेट विभाग की इस गलती की आड़ मे तहसीलदार द्वारा वादी/अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को बेदखल करने एवं अन्य व्यक्तियो को अलाट करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ। अतः वादी की खातेदारी रकबा 0.17 है0 मे से कम किये गये रकबे 0.15 है0 को वादीगण/अपीलांट के नाम पुनः राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जावे। यह इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांट द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 ता 3 का निर्णय वादीगण/अपीलांट के विरूद्व किया है जो विधि विरूद्व है। शहादत व रिकार्ड से दावा वादी पूरी तरह सिद्व है। भू प्रबंध अधिकारियो को पक्का पर्चा जारी करने के पश्चात पर्चा निरस्त करने का अधिकार प्राप्त नही है। केवल कच्ची पर्चे के इन्द्राज को ही दुरूस्त कर सकते है। पक्के पर्चे को दुरूस्त करने का अधिकार दीवानी न्यायालय को प्राप्त है। वादग्रस्त भूमि पर एकीकरण के समय से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग ने कब्जे के आधार पर ही पक्का पर्चा जारी किया है। यह भूमि एकीकरण से पूर्व वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे की भूमि रही है। प्रतिवादीगण ने एकीकरण से पूर्व का कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया है। वादीगण की मौखिक साक्ष्य से भी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा होना प्रमाणित है। साक्ष्य प्रतिवादीगण से भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा प्रमाणित नही है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारो के साक्ष्यो की विवेचना किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कियाा है। जो विधि विरूद्व होने से अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी वादीगण के हक मे किया जावे। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्कीकार फरमाई जाकर वादग्रस्त भूमि का इन्द्राज खातेदारी वादीगण के हक मे किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने बहस मे बताया कि हाल ख0न0 1846 रकबा 17 ऐयर व ख0न0 1846/5947 रकबा 15 ऐयर से वादीगण का कोई सरोकार नही है ना ही कभी रहा है। उक्त भूमि पर वादीगण का एडवर्स पजेशन होने का प्रश्न ही नही उठता है। उक्त भूमि रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 2 की है। वादी/अपीलांट द्वारा गलत प्रकार से जमीन को हडपने की गरज से वाद पत्र मे गलत रूप से पेश की है। वास्तविकता यह है कि एकीकरण से पूर्व ख0न0 1208 रकबा 1 विस्वा बंजड होल था। जिसका एकीकरण मे ख0न0 1655 रकबा 1 विस्वा बंजड डोल बना। उक्त भूमि सरकारी रिकार्ड [illegible] एकीकरण के पश्चात सिवायचक थी। मगर उक्त भूमि पर शुरू से ही रेस्पो/प्रतिवादी [illegible] मद व पिता गुलाब खॉ का कब्जा चला आ रहा था। [illegible] ख0न0 1214 रकबा 16 विस्वा बारानी अब्बल रेस्पो/प्रतिवादी न0 2 के पिता व चाचा के कब्जे काश्त व खातेदारी मे थी जिसे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

आज तक पिता व चाचा के मरने के बाद रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 2 काश्त करता चला आ रहा है। एकीकरण मे आराजी ख0न0 1214 रकबा 16 विस्वा का न तो अलग नबंर बनाया और ना ही प्रतिवादी न0 2 के पिता की खातेदारी मे लगाया। बल्कि गलत रूप से ख0न0 1655 की सीट मे ही मिला दिया। जमाबंदी व अन्य राजस्व रिकार्ड मे रकबा 1 विस्वा ही रखा है। रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 2 ने जब रिकार्ड देखा तो मालुम हुआ कि साबिक ख0न0 1655 का रकबा 1 विस्वा की भूमि गलत प्रकार से वादीगण के पिता के नाम दिनांक 9.1.73 को नियमन करा ली। जबकि शहजाद ने उक्त भूमि को कभी काश्त नही किया है। इसके अलावा जब भूमि 1 विस्वा का नियमन किया गया है एवं ख0न0 1655 का रकबा भी 1 विस्वा का ही था तो फिर वादीगण/अपीलांट किस आधार पर 17 ऐयर भूमि लेना चाहते है। यह रकबा तो रेस्पो/प्रतिवादी न0 2 के कब्जे काश्त मे चली आ रही है। इस रकबे मे प्रतिवादी संख्या 2 के पूर्वजो के खातेदारी का रकबा जो ख0न0 1214 का है शामिल है। मगर गलत प्रकार से एकीकरण ने इस भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व चाचा के खाते न लगाकर सीट मे ख0न0 1655 मे मिला दी। इस 15 एयर रकबा जो पूर्व मे ही प्रतिवादी संख्या 2 के पिता व चाचा की कब्जे काश्त व खातेदारी में चला आ रहा था जो गलती से खाते मे दर्ज एकीकरण मे नही किया जा सका अर्थात सिवायचक हो गया जिसे दिनांक 1.12.90 को एडवाईजरी कमेटी ने प्रतिवादी संख्या 2 को आवंटित कर दिया। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड का भॅली भॉति अवलोकन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जो विधि के अनुरूप है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार गत ख0न0 1655 रकबा 1 विस्वा से हाल ख0न0 1846 रकबा 2 ऐयर कायम हुए है। जमाबंदी सम्वत 2039–42 मे ख0न0 1846/5947 रकबा 15 ऐयर सिवायचक लगानी दर्ज है। खतौनी भू प्रबंध विभाग अनुसार ख0न0 1846 रकबा 2 ऐयर फकीरया,जहांगीर,असगर पिसरान शहजाद कोम गददी मुसलमान के नाम खातेदारी दर्ज है। नामा0संख्या 103 ग्राम पीलोदा अनुसार सिवायचक ख0न0 1655 रकबा 1 विस्वा शहजाद पुत्र घूडया गददी को नियमन किया गया है तथा नामा0संख्या 382 ग्राम पीलोदा के अनुसार ख0न0 1846/5947 रकबा 0.15 है0 रेस्पो/प्रतिवादी संख्या 2 अली खां पुत्र गुलाब खॉ जाति गददी सा0देह गैर खातेदार के पक्ष मे आवंटन का स्वीकार हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एकीकरण के पूर्व विवादित रकबा 1 विस्वा ही था एवं एकीकरण के पश्चात भी रकबा 1 विस्वा रहा है। वादीगण को नियमन 1 विस्वा का ही किया गया है। अपीलांट/वादीगण द्वारा भू प्रबंध विभाग द्वारा दिये गये पर्चा लगान मे दर्ज ख0न0 1846 रकबा 0.17 है0 की खातेदारी प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहा, एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध सम्पूर्ण राजस्व अभिलेख का अवलोकन अध्ययन विवेचन के पश्चात ही अपीलाधीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 182/08 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.18 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 15:54:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner